

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद-211002

सं0 25741 / दस-लाइसेंस-367 / खण्ड-3 सुझाव आबकारी नीति / 2009-10

दिनांक: इलाहाबाद: फरवरी 12, 2009

विज्ञप्ति

वर्ष 2009-10 में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, एवं भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा वर्ष 2009-10 में देशी शराब, विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ लिया गया है:-

- (क) वर्ष 2009-10 के लिए देशी शराब व विदेशी मदिरा, की दुकानों की वर्तमान संख्या में 15 प्रतिशत तथा बीयर की दुकानों की वर्तमान संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी।
- (ख) वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा आबकारी के जोनों में से मेरठ जोन को (बरेली सहित) विशिष्ट जोन बनाए जाने के कारण विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप्स का व्यवस्थापन **“उ0प्र0 आबकारी दुकानों के एकांतिक विशेषाधिकार के लिए विशिष्ट जोनों का सीमांकन व विनियमन नियमावली-2009”** के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 राज्य के नियंत्रणाधीन किसी शीर्ष सहकारी संस्था/निगम द्वारा किया जायेगा, जिसकी विज्ञप्ति पृथक से जारी होगी। शेष आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन **“सार्वजनिक लाटरी”** के माध्यम से किया जायेगा।
- (ग) वर्ष 2008-09 के लिए व्यवस्थित/संचालित देशी शराब की समस्त उप दुकानें वर्ष 2009-10 में समाप्त कर दी गई हैं।
- (घ) देशी शराब की फुटकर दुकान के वर्तमान एम0जी0क्यू0 में विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) को छोड़कर शेष जोनों के लिए 7: की वृद्धि 36: अर्ध के टर्म में की गई है तथा विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के लिए 8: की वृद्धि 36: अर्ध के टर्म में की गई है। इस निर्धारित वृद्धि के अनुसार जनपद के वार्षिक एम0जी0क्यू0 में वृद्धि कर जिला आबकारी अधिकारी वर्ष 2009-10 की आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों का वार्षिक एम0जी0क्यू0 निर्धारित करेंगे। इस निर्धारित एम0जी0क्यू0 में वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित प्रति लीटर बेसिक लाइसेंस फीस रू0 20/- से गुणा करके दुकान की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस आगणित की जायेगी। वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। एम0जी0क्यू0 में वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) की दर रू0 108/- से गुणा करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस आगणित हो जायेगी, जो नियमानुसार 12 महीनों में उठाई गई मात्रा/जमा करके अदा करनी होगी। वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/10 के बराबर प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार अनुज्ञापन के सम्यक संचालन के समय जमा करनी होगी।
- (ङ) अद्यतन प्रचलित विदेशी मदिरा की विक्रय आधारित श्रेणियों को समाप्त करते हुए वर्ष 2009-10 के लिए विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए लाइसेंस फीस निर्धारण करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा 23 रू0 प्रति बोतल लाइसेंस फीस का अधिभार निर्धारित किया गया है। विदेशी मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान के जनवरी-09 तक के उपभोग के औसत के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग की गणना की जायेगी। दुकान के इस अनुमानित वार्षिक उपभोग को आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित किए गए प्रति बोतल के अधिभार से गुणा करके दुकान की वर्ष 2009-10 के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी, जो देय होगी। लाइसेंस फीस की 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं प्रतिभूति धनराशि चयन होने के उपरान्त नियमानुसार देय होगी।

- (च) अद्यतन प्रचलित बीयर की विक्रय आधारित श्रेणियों को समाप्त करते हुए वर्ष 2009-10 के लिए विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए लाइसेंस फीस निर्धारण करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा 4/- रू0 प्रति बोतल लाइसेंस फीस का अधिभार निर्धारित किया गया है। बीयर की प्रत्येक फुटकर दुकान के जनवरी-09 तक के उपभोग के औसत के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग की गणना की जायेगी। दुकान के इस अनुमानित वार्षिक उपभोग को आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित किए गए प्रति बोतल के अधिभार से गुणा करके दुकान की वर्ष 2009-10 के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी, जो देय होगी। लाइसेंस फीस की 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं प्रतिभूति धनराशि चयन होने के उपरान्त नियमानुसार देय होगी।
- (छ)- वर्ष 2009-10 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों के लाटरी फार्मों की प्रोसेसिंग फीस 3000 रू0 प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की जाती है। माडल शाप्स के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन रू0 5,000/- गत वर्ष की भाँति रहेगी।
- (ज) वर्ष 2009-10 के लिए निकाय विशेष के लिए नवसृजित देशी शराब की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के निर्धारण के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) व नवसृजित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारण हेतु न्यूनतम बोतलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

निकाय	वर्ष 2009-10 के लिए निकाय विशेष के लिए न्यूनतम निर्धारित की जाने वाली मात्रा बी0एल0 (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में)में	विदेशी मदिरा की न्यूनतम बोतलों की संख्या, जिसके आधार पर अनुज्ञापन शुल्क आगणित किया जाना है। (750 एम0एल0)	बीयर की न्यूनतम बोतलों की संख्या, जिसके आधार पर अनुज्ञापन शुल्क आगणित किया जाना है। (650 एम0एल0)
ग्रामीण	6000	4000	20000
नगर पंचायत	7000	7000	31000
नगर पालिका	12000	14000	62800
नगर निगम	17000	32000	117000

(झ) **माडल शाप्स**

विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) को छोड़कर प्रदेश की अन्य सभी माडल शाप्स का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। जिलाधिकारी वर्ष के प्रारम्भ में यथावश्यकता जनपद में माडल शाप्स के नवसृजन के लिए क्षेत्रों का चयन कर वर्ष 2009-10 के लिए नवसृजित माडल शाप्स के लिए आबकारी आयुक्त से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर विज्ञापित कराके व्यवस्थित कराएंगे। माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्न प्रकार है :-

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. महानगरों एवं नोएडा के लिये (ग्रेंटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	22 लाख रुपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	1.00 लाख
2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेंटर नोएडा एवं झांसी सहित)	8 लाख रुपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 22 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।	1.00 लाख

- (ज) वर्ष 2009-10 में देशी शराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन सी0एल0-2 के स्थान पर सी0एल0-1बी/सी0एल0-1सी अनुज्ञापन प्रभावी किए जा रहे हैं। आबकारी आयुक्त के स्तर पर सी0एल0-1बी अनुज्ञापि का चयन प्रदेश के चार आबकारी जोनों के लिए जोनवार किया जाएगा।

इन अनुज्ञापनों की प्रोसेसिंग फीस, अनुज्ञापन शुल्क, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा उसके जमा करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

प्रोसेसिंग फीस - 2.0 लाख रू० (आवेदन पत्र प्राप्त करते समय)

धरोहर धनराशि - 50.0 लाख (आवेदन पत्र के साथ, किन्तु अनुज्ञापन शुल्क में समायोजनीय होगी)

अनुज्ञापन शुल्क - 8.0 करोड़ (आवेदन स्वीकृति के समय 2.5 करोड़ 30.06.2009 तक 2.5 करोड़ तथा 30.09.2009 तक 3.0 करोड़)

प्रतिभूति धनराशि - 80.0 लाख (आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय)

एक से अधिक अर्ह आवेदन पत्र पाए जाने पर सी०एल०-1बी अनुज्ञापनी का चयन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। एकल आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसी के पक्ष में अनुज्ञापन व्यवस्थित कराया जाएगा

सी०एल०-1बी० अनुज्ञापनी द्वारा सी०एल०-1सी अनुज्ञापन जनपद स्तर पर प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए लाइसेंस फीस 1.0 लाख रू० तथा प्रतिभूति धनराशि रू० 10.0 हजार देय होगी।

(ट) वर्ष 2009-10 के लिए विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन एफ०एल०-2 की फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

क्रम संख्या	जनपद में वर्ष 2008-09 में फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	5.00 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	10.00 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक	20.00 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	30.00 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	40.00 लाख

स्पष्टीकरण :- उपरोक्तानुसार अनुमानित वार्षिक उपभोग का आंगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(ठ)- समय सारिणी

1. विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में फुटकर आबकारी दुकानों हेतु शीर्ष सहकारी संस्था/निगमों के चयन हेतु समय सारिणी

क्रमांक	तिथि	अभ्युक्ति
1.	12.02.2009	विज्ञप्ति प्रकाशन
2.	21.02.2009	शीर्ष सहकारी संस्थाओं/निगमों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र पूर्ण कर जमा करने की अन्तिम तिथि सायं 5.00 बजे तक
3.	22.02.2009	आवेदनों का परीक्षण कर अर्ह आवेदकों का चिन्हांकन एवं एक से अधिक अर्ह आवेदन चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक हेतु लाटरी एवं आवेदक का चयन

2. प्रत्येक जोन के सी०एल०-1बी अनुज्ञापनों हेतु समय सारिणी

क्रमांक	तिथि	अभ्युक्ति
1.	12.02.2009	विज्ञप्ति प्रकाशन
2.	21.02.2009	समस्त संलग्नकों के साथ आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि सायं 5.00 बजे तक
3.	22.02.2009	जोन वार आवेदनों का परीक्षण कर अर्ह आवेदकों का चिन्हांकन एवं एक से अधिक अर्ह आवेदन चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक हेतु लाटरी एवं आवेदक का चयन। जोनवार अनुज्ञापन आवंटन।

3- सी0एल0-1सी अनुज्ञापनों हेतु समय सारणी :-

सी0एल0-1बी का चयनित अनुज्ञापनी दिनांक 23.02.2009 से 27.03.2009 तक जोन के प्रत्येक जनपद हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस रू0 1.0 लाख व प्रतिभूति धनराशि रू0 10.0 हजार अदा करके सी0एल0-1सी अनिवार्य रूप से अनुज्ञापन प्राप्त करेगा।

4-एफ0एल0-2/2बी अनुज्ञापन हेतु समय सारिणी

क्रमांक	तिथि	अभ्युक्ति
1.	12.02.2009	विज्ञप्ति प्रकाशन
2.	14.02.2009 से 27.03.2009 तक	आवेदन करने की तिथि
3.	19.02.2009 से 31.03.2009 तक	अनुज्ञापन निर्गमन

आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारणी :-

क्रमांक	कार्यवाही	दिनांक
1.	प्रथम चरण (संलग्न सूची में अंकित जनपदों में) वर्ष 2009-10 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा युक्ति-युक्त कर, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/ प्रतिभूति धनराशि में वांछित वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्धि के साथ), बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	19.02.2009
2.	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा, बियर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	19.02.2009
3.	देशी मदिरा, की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में आबकारी नीति में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी तथा इनका व्यवस्थापन भी लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्रा मांगकर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञप्ति।	19.02.2009
4.	उपरोक्त समस्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानकों यथा पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ माँगने एवं लाटरी हेतु आवेदन-पत्रों का विक्रय 20.02.2009 से प्रारम्भ तथा दिनांक 25.02.2009 को दोपहर 2.00 बजे तक करने एवं सायं 5.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	19.02.2009
5.	लाटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	25.02.2009 को सायं 5.00 बजे तक
6.	आवेदन पत्रों का परीक्षण	26.02.2009 से 01.03.2009 तक
7.	सार्वजनिक लाटरी	02.03.09 को प्रातः 11 बजे से समाप्ति तक

1.	द्वितीय चरण (संलग्न सूची में अंकित जनपदों में) वर्ष 2009-10 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा युक्ति-युक्त कर, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/ प्रतिभूति धनराशि में वांछित वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्धि के साथ), बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	22.02.09
2.	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा, बियर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	22.02.09
3.	देशी मदिरा, की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में आबकारी नीति में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी तथा इनका व्यवस्थापन भी लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्रा मांगकर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञप्ति।	22.02.09
4.	उपरोक्त समस्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानकों यथा पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ माँगने एवं लाटरी हेतु आवेदन-पत्रों का विक्रय 23.02.2009 से प्रारम्भ तथा दिनांक 03.03.2009 को दोपहर 2.00 बजे तक करने एवं सायं 5.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	22.02.2009
5.	लाटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	03.03.09 के सायं 05 बजे तक
6.	आवेदन पत्रों का परीक्षण	04.03.09 से 06.03.09 तक
7.	सार्वजनिक लाटरी	07.03.09 को 11 बजे से समाप्ति तक

1.	तृतीय चरण (संलग्न सूची में अंकित जनपदों में) वर्ष 2009-10 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा युक्ति-युक्त कर, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/ प्रतिभूति धनराशि में वांछित वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्धि के साथ), बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	25.02.09
2.	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा, बियर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	25.02.09
3.	देशी मदिरा, की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में आबकारी नीति में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी तथा इनका व्यवस्थापन भी लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्रा मांगकर किया जायेगा। ऐसी	25.02.09

	दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञप्ति।	
4.	उपरोक्त समस्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानकों यथा पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ मॉगने एवं लाटरी हेतु आवेदन-पत्रों का विक्रय 26.02.2009 से प्रारम्भ तथा दिनांक 07.03.2009 को दोपहर 2.00 बजे तक करने एवं सायं 5.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	25.02.2009
5.	लाटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	07.03.09 के सायं 05 बजे तक
6.	आवेदन पत्रों का परीक्षण	08.03.09 से 13.03.09 तक
7.	सार्वजनिक लाटरी	14.03.09 को 11 बजे से समाप्ति तक

अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन हेतु लाटरी

1.	प्रत्येक चरण में अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम लाटरी के पश्चात् उसके अगले दिवस को विज्ञप्ति निर्गत की जायेगी एवं अन्य प्रक्रिया दो कार्यदिवस सहित की जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार विज्ञप्ति निर्गत करेंगे।	
----	---	--

भांग की दुकानें

1.	भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	15.03.2009 को
----	---------------------------------	---------------

दुकानों का दैनिक आधार पर संचालन

1..	दैनिक आधार पर दुकानों का व्यवस्थापन करने हेतु सार्वजनिक लाटरी से अवशेष देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बियर/मॉडल शॉप एवं मांग की दुकानों को दिनांक 01.04.2009 से दैनिक व्यवस्थापन संचालन हेतु विज्ञापन	31.03.2009 को प्रातः 11 बजे
2..	दैनिक आधार पर दुकानों का व्यवस्थापन	01.04.2009 को प्रातः 9 बजे

जनपदों का विवरण जिनका व्यवस्थापन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में किया जायेगा:-

क्रमांक	प्रथम चरण के जनपद	द्वितीय चरण के जनपद	तृतीय चरण के जनपद
1 ^प	चंदौली	गाजीपुर	वाराणसी
2 ^प	कौशाम्बी	जौनपुर	इलाहाबाद
3 ^प	सिद्धार्थनगर	फतेहपुर	मिर्जापुर
4 ^प	संत कबीर नगर	प्रतापगढ़	गोरखपुर
5 ^प	बाराबंकी	संतरविदास नगर	कुशीनगर
6 ^प	श्रावस्ती	बलिया	बस्ती
7 ^प	सोनभद्र	मऊ	लखनऊ
8 ^प	महामायानगर	देवरिया	खीरी
9 ^प	काशीराम नगर	महराजगंज	सीतापुर
10 ^प	औरैया	बस्ती	फैजाबाद
11 ^प	ललितपुर	हरदोई	गोण्डा
12 ^प	महोबा	रायबरेली	आगरा
13 ^प	—	उन्नाव	मैनपुरी
14 ^प	—	सुल्तानपुर	अलीगढ़
15 ^प	—	अंबेडकरनगर	कानपुर नगर
16 ^प	—	बहराइच	इटवा
17 ^प	—	बलरामपुर	फर्रुखाबाद
18 ^प	—	एटा	झांसी
19 ^प	—	कानपुर देहात	जालौन
20 ^प	—	कन्नौज	बांदा
21 ^प	—	हमीरपुर	मथुरा
22 ^प	—	चित्रकूट	फिरोजाबाद

(ड)–अन्य

- देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र एवं माडल शाप्स के लिए आवेदन पत्र जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त प्रभार, संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन एवं आबकारी आयुक्त, उ०प्र० कार्यालय इलाहाबाद से क्रमशः रु० 3,000/- एवं 5,000/- की प्रोसेसिंग फीस का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि जिला आबकारी अधिकारी संबंधित जनपद/आबकारी आयुक्त, उ०प्र० को प्रतिश्रुति हो अथवा नगद जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। सभी तरह के पूर्ण निर्धारित देयताओं के साथ आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अथवा कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व तक जमा कराये जा सकेंगे।
- किसी व्यक्ति द्वारा एक या अधिक दुकानें आवेदित की जा सकेंगी, किन्तु प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स की दुकानों की (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा व बेसिक लाइसेंस फीस, केवल देशी शराब की दुकानों हेतु) लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि व धरोहर धनराशि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विज्ञप्ति सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी/ जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत की जायेगी। इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/ जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।